।। न्यायालय सहायक कलक्टर अलवर ।।

पीठासीन अधिकारी – श्रीमती रेणू मीना, आर०ए०एस०

राजस्व वाद नं०	तारीख रज्जू	तारीख निर्णय
1/128	22.12.2021	15.03.2022

01– राजेश गर्ग पुत्र श्री ओमप्रकाश गर्ग आयु करीब 49 वर्ष जाति महाजन निवासी बी–93, बुद्धविहार, अलवर

02– महेश गर्ग पुत्र श्री ओमप्रकाश गर्ग आयु करीब 45 वर्ष जाति महाजन निवासीं 21, अशोक विहार, अलवर

–वादीगण

बनाम

01– बन्ना पुत्र रूपू जाति मेव निवासी ग्राम बन्दीपुरा तहसील व जिला अलवर

02– राकेश यादव पुत्र श्री सुन्दरपाल यादव जाति अहीर निवासी सैनी धर्मशाला के सामने, काला कुआं रोड, तहसील व जिला अलवर

03– राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) अलवर

–प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राज० काश्तकारी अधिनियम

–:निर्णयः–

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि खाता सं० नया 279 में आराजी खसरा नम्बर 204 रकबा 0.4200 है० वाके ग्राम जटियाना तहसील व जिला अलवर में स्थित है, जो वाद में विवादित

सहायक कलक्टर
अलवर

आराजी है। उपरोक्त विवादित आराजी मिन वादीगण द्वारा खातेदारान सुधा अग्रवाल स्त्री घनश्याम दास अग्रवाल व सुमन अग्रवाल स्त्री रमेश चन्द अग्रवाल से जरिये बैयनामा दिनांक 11.05.2012 को खरीद की गई। जो बैयनामा उप पंजीयक अलवर प्रथम द्वारा दिनांक 11.05.2012 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द स० 990 में पुष्ठ संख्या 32 क्रम संख्या 2012003150 पर पंजीबद्ध किया जाकर अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 3039 के पृष्ठ संख्या 278 से 286 पर चस्पा किया गया है। बाद बैयनामा मिन वादीगण के नाम इंतकाल बैय स्वीकृत कर उसका अमल राजस्व रिकार्ड में किया गया है। मुताबिक हाल राजस्व रिकार्ड, विवादित आराजी में वादी सं०1 का 17/84 हिस्सा, वादी सं०2 का 17/84 हिस्सा तथा प्रतिवादी बन्ना 25/84 हिस्सा व प्रतिवादी राकेश यादव 25/84 हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। विवादित आराजी में सभी सहखातेदार काश्तकार अपने अपने हिस्से अनुसार आराजी में प्रत्येक इंच में अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी पर काबिज रहकर शामलात में काश्त करते चले आ रहे है। विवादित आरजी अबट आराजी है जिसका आज तक किसी भी प्रकार से बटवारा नही हुआ है। अब कुछ समय से पक्षकारान में विवादित आराजी के कब्जे काश्त बाबत तनाजा रहता है जिससे विवादित आराजी को वादीगण शांतिपूर्ण तरीके से उपयोग व उपभोग नही कर पा रहे है। ऐसी स्थिति में अब मिन वादीगण का शामलात में काश्त करना सम्भव नही है। वादीगण विवादित आराजी में उपरोक्तानुसार अपना हिस्सा तकसीम कराने के अधिकारी है। वादीगण शांतिप्रिय व्यक्ति है तथा जब भी अपनी आराजी की देखभाल काश्त प्रबन्ध के लिए जाते है तो प्रतिवादी संख्या 1 व 2 शांतिपूर्वक काश्त नही करने देते है। जबरन आराजी मुतनाजा से बेदखल कर अच्छी अच्छी आराजी पर कब्जा कर नुकसान पहुंचाना चाहते है। इसलिए वादीगण अपने

सहायक कलक्टर
अलवर

हिस्से की आराजी को तकसीम कराने के अधिकारी है। वादीगण दिनांक 02.11.2021 को अपने हिस्से की आराजी की देखभाल एवं प्रबन्ध करने के लिए आराजी मुतनाजा पर गये तो प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने वादीगण के कब्जे काश्त में रूकावट मजाहमत पैदा की तथा विवादित आराजी पर प्लॉटिंग कर रहन बय हिबा की धमकी दी। वादीगण ने प्रतिवादीगण से निवेदन किया कि वो आराजी को हिस्सानुसार अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी तकसीम करा ले लेकिन उन्होने स्पष्ट इंकार कर दिया। यदि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने वादीगण को उनके कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी से बेदखल कर दिया और अच्छी अच्छी आराजी पर कब्जा कर प्लॉटिंग कर ली तो वादीगण को भारी नापूर्ति होने वाली क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से नही की जा सकेगी, वादीगण तबाह बरबाद हो जायेंगे। इसलिए प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाना आवश्यक है। चूँकि वादपत्र तकसीम आराजी का है इसलिए प्रतिवादी संख्या 3 तहसीलदार साहब लैण्ड होल्डर को बिना नोटिस दिये फोरमल पक्षकार बनाया गया है, इनसे कोई रिलीफ नही चाही गई है। वादपत्र में बिनायदावी दिनांक 02.11.2021 को पैदा हुई जब प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने वादीगण के कब्जे काश्त में रूकावट मजाहमत पैदा की तथा विवादित आराजी को तकसीम कराने से इंकार कर दिया जो तारीख, दावा हाजा के लिए बिनायमुखास्मत भी है, जिससे वाद अन्दर मियाद प्रस्तुत है।

वादीगण द्वारा वाद पेश कर निवेदन किया है कि डिक्री तकसीम आराजी इस आशय की पारित की जावे कि मुताबिक राजस्व रिकार्ड हाल जमाबन्दी सम्वत 2072–2074 खाता सं० नया 279 में आराजी खसरा नम्बर 204 रकबा 0.4200 है० वाके ग्राम जटियाना तहसील व जिला अलवर में से वादीगण का 17/84 – 17/84 हिस्सा अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी तकसीम

सहायक कलक्टर
अलवर

किया जाकर अलग खाताबंदी की जावे एवं अलग लगान कायम की जावे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावे कि वादीगण के हिस्से की आराजी में कुल कार्य काश्तकारी फसल बोने, काटने, ले जाने आदि मे किसी प्रकार की कोई रूकावट मजाहमत पैदा ना करे तथा बिना तकसीम किये कोई निर्माण व प्लांटिंग नही करे ना ही नींव खुदाई, भरायी करे, रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन से तलब किया गया। प्रतिवादीगण जर्ये अधिवक्ता उपस्थित आये।

वकील वादी एवं वकील प्रतिवादीगण उपस्थित। वादीगण का वाद दिनांक 14.02.2022 को प्रारम्भिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार अलवर को मुताबिक राजस्व रिकार्ड हाल जमाबन्दी सम्वत 2072–2074 खाता सं० नया 279 में आराजी खसरा नम्बर 204 रकबा 0.4200 है० वाके ग्राम जटियाना तहसील व जिला अलवर को मौके पर उभयपक्षकारान की उपस्थिति में अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी के आधार पर रिकार्ड एवं मौके के अनुसार रास्ते की सुविधा का ध्यान रखते हुए विभाजन कर, विभाजन प्रस्ताव विवादित आराजी के नक्शे में विभाजन को प्रदर्शित करते हुए, कुर्रेजात रिपोर्ट भिजवाने बाबत निर्देशित गया गया।

तहसीलदार अलवर द्वारा पत्रांक राजस्व/2022/489 दिनांक 09.03.2022 द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट में आराजी खसरा नम्बर 204 रकबा 0.42 है० का विभाजन कर नजरी नक्शा पेश किया है।

मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट तहसीलदार अलवर ने पक्षकारान के मौका एवं रिकार्ड के अनुसार वादग्रस्त आराजी का निम्न प्रकार तकासमा किया जाना प्रस्तावित किया है:–

सहायक कलक्टर
अलवर

क्र० सं०	खातेदार का नाम मय वल्दियत	खसरा नम्बर	रकबा
01—	महेश गर्ग पुत्र ओमप्रकाश गर्ग जाति महाजन हि० 1/2 राजेश गर्ग पुत्र ओमप्रकाश गर्ग जाति महाजन हि० 1/2	204 मि.	0.17 है०
02—	बन्ना पुत्र रूपू जाति मेव निवासी ग्राम बन्दीपुरा तहसील व जिला अलवर हि० 1/2 राकेश यादव पुत्र श्री सुन्दरपाल यादव जाति अहीर निवासी सैनी धर्मशाला के सामने, काला कुआं रोड, तहसील व जिला अलवर हि० 1/2	204 मि.	0.25 है०

प्रस्तावित कुर्रेजात रिपोर्ट के संलग्न नक्शा ट्रेस में वादी संख्या 1 व 2 को बैरंग सुर्ख गेरूवा रंग से एवं शेष प्रतिवादीगण को बैरंग सुर्ख पीला रंग से प्रदर्शित किया गया है।

वादीगण एवं प्रतिवादीगण की ओर से तहसीलदार अलवर द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट पर किसी ने भी कोई एतराज व उज्र नही किया है। तहसीलदार अलवर द्वारा प्रस्तावित कुर्रेजात रिर्पोट से हम सहमत है, प्रस्तावित कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर वादग्रस्त आराजी की अन्तिम पर्चा डिक्री वादीगण के पक्ष में जारी किया जाना उचित समझते है।

अतः वाद वादीगण फाईनल डिक्री किया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 204 मि० रकबा 0.17 है० में वादी महेश गर्ग पुत्र ओमप्रकाश गर्ग जाति महाजन एवं राजेश गर्ग पुत्र ओमप्रकाश गर्ग जाति महाजन को 1/2 – 1/2 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, तदानुसार वादीगण का हाल राजस्व रिकार्ड एवं नक्शा ट्रेस में अलग नम्बर, अलग खाता कायम कर एवं अलग

सहायक कलक्टर
अलवर

से लगान कायम कर अमल दरामद किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 15.03.2022 को लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम होकर, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(रेणू मीना)
सहायक कलक्टर
अलवर

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर, अलवर

पीठासीन अधिकारी :— श्रीमति रेणू मीना RAS

उनवान

राजेश गर्ग वगै० बनाम बन्ना गोयल वगै०

दावा बाबत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
मुकदमा नम्बर :— 1/128/2021
निर्णय दिनांक :— 15.03.2022

वादीगण व प्रतिवादीगण की उपस्थिति में वाद में आज तारीख 14.03.2022 को अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश दिया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 204 मि० रकबा 0.17 है० में वादी महेश गर्ग पुत्र ओमप्रकाश गर्ग जाति महाजन एवं राजेश गर्ग पुत्र ओमप्रकाश गर्ग जाति महाजन को 1/2 – 1/2 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, तदानुसार वादीगण का हाल राजस्व रिकार्ड एवं नक्शा ट्रेस में अलग नम्बर, अलग खाता कायम कर एवं अलग से लगान कायम कर अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 15.03.2022 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(रेणू मीना)
सहायक कलक्टर
अलवर

वाद के खर्चे		प्रतिवादी	
वादी			
1.वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3.प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4........ रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह—व्यय 6.कमिश्नर की फीस 7.आदेशिका की तामील	रूपया	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशित की तामील कमिश्नर की फीस	रूपया